2024 का विधेयक संख्यांक 6.

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्ड:

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
- 2. धारा 2 का संशोधन।
- 3. धारा 20 का प्रतिस्थापन।
- 4. धारा 122क का अंतःस्थापन।
- 5. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 का संशोधन।

2024 का विधेयक संख्यांक 6

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।
- (2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 2 से 4 ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगी, जैसी सरकार राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
- 2. धारा 2 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 2 के खंड (61) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
 - ''(61) इनपुट सेवा वितरक'' से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उप—धारा (3) या उप—धारा (4) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सिम्मिलत हैं या धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है और धारा 20 में उपबंधित रीति में ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करने के लिए दायी है।'';
- **3. धारा 20 का प्रतिस्थापन.**—मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात :—

- "20. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति—(1) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता का कोई कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे कर बीजक प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उप—धारा (3) या उप—धारा (4) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है, से धारा 24 के खंड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा होगी और वह ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा ।
- (2) इनपुट सेवा वितरक उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर केंद्रीय कर प्रत्यय या प्रभारित एकीकृत कर का, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उप—धारा (3) या उप—धारा (4) के अधीन उसी राज्य में रिजस्ट्रीकृत सुभिन्न व्यक्ति द्वारा संदत्त कर उद्ग्रहण के अधीन सेवाओं के संबंध में केंद्रीय या एकीकृत कर के प्रत्यय को उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे निर्वंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, वितरण करेगा ।
- (3) राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में एक ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट होगी, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वितरण किया जाएगा ।"।
- 4. **धारा 122क का अंतःस्थापन.**—मूल अधिनियम, की धारा 122 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"122क. माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कितपय मशीनों को विशेष प्रक्रिया के अनुसार रिजस्टर करने में असफलता के लिए शास्ति—(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, जहां कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे माल के विनिर्माण में लगा है, जिसके संबंध में धारा 148 के अधीन मशीनों के रिजस्ट्रीकरण के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की गई है, उक्त विशेष प्रक्रिया के उल्लंघन में कार्य करता है, तो वह किसी ऐसी शास्ति के अतिरिक्त, जो अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के किन्ही अन्य उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदत्त की गई है या संदेय है, प्रत्येक ऐसी मशीन के लिए, जो ऐसे रिजस्ट्रीकृत नहीं है, एक लाख रुपए की रकम के बराबर किसी शास्ति के लिए दायी होगा।

(2) प्रत्येक ऐसी मशीन, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उप–धारा (1) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, अभिग्रहण और अधिहरण के लिए दायी होगी :

परंत् ऐसी मशीन का अधिहरण नहीं किया जाएगा, जहां,--

- (क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति का संदाय कर दिया गया है, और
- (ख) ऐसी मशीन का रजिस्ट्रीकरण, शास्ति के आदेश की संसूचना की प्राप्ति से तीन दिन के भीतर, विशेष प्रक्रिया के अनुसार किया गया है ।"।
- 5. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उप—धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप—धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
 - ''(2) अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,—
 - (क) धाराएं 2 से 15 और 21 से 27, तारीख प्रथम अक्तूबर, 2023 से प्रवृत्त डुई समझी जाएंगी;
 - (ख) धाराएं 16 से 20, तारीख प्रथम अगस्त, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने का प्रस्ताव करता है विधेयक धारा 2 के खण्ड (61) और हिमाचल प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 20 का संशोधन करने का प्रस्ताव भी करता है जो इसके साथ—साथ स्पष्टतया और विनिर्दिष्ट मानदण्ड उपलब्ध करवाएगा जिसके द्वारा इनपुट सेवा वितरक की भूमिका और उत्तरदायित्वों को और अधिक सुस्पष्ट समझना और उनके दायित्वों को रेखांकित करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त, विधेयक माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कितपय मशीनरी के रिजस्ट्रीकरण में असफल रहने की दशा में दांडिक उपबन्धों का उपबन्ध करने हेतु एक नई धारा 122 (अ) को अन्तःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव करता है। प्रस्तावित विधेयक इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 का संशोधन करने की वांछा रखता है, तािक इसे केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तत्स्थानी संशोधित उपबन्धों के अनुरूप लाया जा सके जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम अगस्त, 2023 और प्रथम अक्तूबर, 2023 से पहले ही प्रवृत्त किया जा चुका है और इसलिए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 के उपबन्धों को उसी तारीख से प्रभाव में लाए जाने की अपेक्षा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू) मुख्य मन्त्री।

शिमलाः	
तारीख	2024
VII VI G	

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से प्रवर्तित किए जाएंगे और कोई अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए सशक्त करता है। शक्ति का प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्याः ईएक्सएन—डी(6)—1 / 2023—वाल—1)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को राज्य विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 6 of 2024.

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2024

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

- 1. Short title.
- 2. Amendment of section 2.
- 3. Substitution of section 20.
- 4. Insertion of section 122A.
- 5. Amendment of section 1 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (2nd Amendment) Act, 2023.

Bill No. 6 of 2024.

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

Α

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of 2017).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

- 1. Short title.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2024.
- (2) Save as otherwise provided, sections 2 to 4 shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Rajpatra, (e-Gazette), Himachal Pradesh appoint.
- **2**. **Amendment of section 2.**—In section (2) of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for clause (61), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(61) "Input Service Distributor" means an office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, and liable to distribute the input tax credit in respect of such invoices in the manner provided in section 20;".
- **3. Substitution of section 20.**—For section 20 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
 - **"20 Manner of distribution of credit by Input Service Distributor.—**(1) Any office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, shall be required to be registered as Input Services Distributor under clause (viii) of section 24 and shall distribute the input tax credit in respect of such invoices.
 - (2) The Input Service Distributor shall distribute the credit of central tax or integrated tax charged on invoices received by him, including the credit of central or integrated tax in respect of services subject to levy of tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 paid by a distinct person registered in the same State as the said Input Services Distributor, in such manner, within such time and subject to such restriction and conditions as may be prescribed.

- (3) The credit of state tax shall be distributed as state tax or integrated tax and integrated tax as integrated tax or state tax, by way of issue of a document containing the amount of input tax credit, in such manner as may be prescribed."
- **4. Insertion of section 122A.**—After section 122 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—
 - **"122A Penalty for failure to register certain machines used in manufacture of goods as per special procedure.**—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, where any person, who is engaged in the manufacture of goods in respect of which any special procedure relating to registration of machines has been notified under section 148, acts in contravention of the said special procedure, he shall, in addition to any penalty that is paid or is payable by him under Chapter XV or any other provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees for every machine not so registered.
- (2) In addition to the penalty under sub-section (1), every machine not so registered shall be liable for seizure and confiscation:

Provided that such machine shall not be confiscated where—

- (a) the penalty so imposed is paid; and
- (b) the registration of such machine is made in accordance with the special procedure within three days of the receipt of communication of the order of penalty.".
- 5. Amendment of section 1 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (2nd Amendment) Act, 2023.—In section 1 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (2nd Amendment) Act, 2023, for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—
 - "(2) save as otherwise provided in the Act,—
 - (a) sections 2 to 15 and 21 to 27, shall be deemed to have come into force on 1st day of October, 2023;
 - (a) sections 16 to 20 shall be deemed to have come into force on 1st day of August, 2023.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024 proposes to further amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of 2017). The Bill proposes to amend Clause (61) of section 2 and section 20 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 which would, *Interalia*, provide clarity and specific cretira thereby ensuring a more precise understainding of the role and responsibilities of Input Service Distributor and to outline their obligations. Further, the Bill proposes to insert a new section 122 A to provide for penal provisions in case of failure of registration of certain machinery used in mnufacturing of goods. The proposed Bill further seeks to amend section 1 of the Himachal Pradesh Goods and

Services Tax (2nd Amendment) Act, 2023 incompatible with the corresponding amended provisions of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 which has already been enforced by the Central Government *w.e.f.* 1st August, 2023 and 1st October, 2023 and hence the provisions of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (2nd Amendment Tax), 2023 are required to be brought into effect from the same date.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)

Chief Minister.

SHIMLA:		
The	2024	

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 3 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUION OF INDIA

(File No. EXN-D(6)-1/2023-Vol-I)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024, recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and the consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of 2017).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)

Chief Minister.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)

Secretary (Law).

SHIMLA:		
THE, 202	4	

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th September, 2024

Comp. No.: 153079 File No.:HFW-B-B015/77/2023.—In supersession of this Department Notification No. Health-B(B)15-10/2023 dated 03-01-2019, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to re-constitute an "Ethics Committee" consisting of following members for smooth functioning development activities in H.P. Government Dental College, Shimla:—

Sl.	Name & Designation	Post
No.		
	Dr. G.R. Tegta, Ex. Professor & Head, Department of Skin, IGMC, Shimla, Rana Baljeet Singh House Cliffend Estate,	Chairperson
	Shimla, H.P.	